न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 78 / 2021

वादीगण **बनाम** प्रतिवादीगण

वादीगण

1. झीमोदेवी पुत्री दलाराम पत्नी जेठाराम, उम्र 50 वर्ष, निवासी–धने की ढाणी, तहसील–सिणधरी

2. नेनूदेवी पुत्री दलाराम पत्नी वीजाराम, उम्र–40 वर्ष, निवासी–कमठाई, तहसील–सिणधरी

3. पेम्पोदेवी पुत्री दलाराम पत्नी पूराराम, उम्र–32 वर्ष, निवासी–एड सिणधरी, तहसील–सिणधरी

प्रतिवादीगण

1. रावताराम पुत्र वेहनाराम,
2. रामाराम पुत्र वेहनाराम,
3. देवी पुत्री वेहनाराम,
4. पारुदेवी पत्नी वेहनाराम,
5. वना पुत्र दला, जातियान–जाट, निवासी–जैरुपोणियों का तला (जोगासर), होडू, तहसील सिणधरी, जिला–बाड़मेर
6. सूखी पत्नी चेना फौत के कायम मुकाम 6 / 1– रामू पुत्री चौनाराम पत्नी भूराराम
7. रामूदेवी पुत्री चौनाराम, पत्नी भूराराम, उम्र–32 साल जाति–जाट, निवासी–जसनाथ नगर, कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर
8. खेता पुत्र लिखमा, उम्र 70 वर्ष
9. माना पुत्र लिखमा, उम्र–64 वर्ष
10. सका पुत्र लिखमा उम्र–60 वर्ष
11. भैरा पुत्र लिखमा उम्र–56 वर्ष
12. कसुम्बी पत्नी लिखमा, उम्र–90 वर्ष,
13. चिमना पुत्र हरजी, उम्र–80 साल
14. मोटा पुत्र हरजी फौत के कायम मुकाम रू–

14 / 1– अणदाराम पुत्र मोटाराम

14 / 2– आ[illegible]राम पुत्र मोटाराम

14 / 3– पुनमा[illegible]टाराम

14 / 4 [illegible] मोटाराम

15. [illegible]ती पुत्र हरजी [illegible]–65 साल

16. हकमा पुत्र हरजी उम्र–40 साल

17. मांगाराम पुत्र [illegible]नाराम, उम्र–45 वर्ष, जातियान–जाट, निवासी–जैरुपोणियों का तला

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

(जोगासर), होडू, तहसील सिणधरी, जिला–बाड़मेर

18. शाखा प्रबन्धक, R-M-G-B शाखा–होडू

19. शाखा प्रबन्धक, R-M-G-B शाखा –सिणधरी

20. तहसीलदार एवं उप पंजियक सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री जोगराज पोटलिया वकील वादीनीगण।
2. श्री भंवरलाल चौधरी वकील प्रतिवादी सं. 7
3. पैरोकार सरकार उप.।
4. शेष प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 10.07.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीनीगण की अपने पिता दलाराम के अन्य वारिसान एवं अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त हक एवं कब्जाकास्त की भूमि खसरा संख्या 638, 772, 773 व 723 कुल रकबा 42–9094 हैक्टेयर ग्राम जेरूपाणियों का तला तहसील सिणधरी तथा खसरा संख्या 334/147, 336/19 व 335/18 कुल रकबा 19.2057 हैक्टेयर ग्राम जसनाथ नगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। वादीनीगण उक्त भूमि के पूर्व खातेदार दलाराम की जाइंदा पुत्रियां है, जिनके वारिसान ने वादीनीगण के अतिरिक्त पुत्र वेहनारा, दलाराम, चेनाराम व पत्नि नोजी– थे, जिनमें से वेहनाराम एवं चेनाराम फौत हो चुके है, वेहनाराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 चैनाराम के वारिस पुत्री रामूदेवी एवं नोजी के वारिस दलाराम के समान वादीनीगण जाति से जाट होने से हिन्दू विधि से शासित होते है। और आर.टी. एक्ट की धारा 40 के अन्तर्गत किसी मृत निर्वसियती व्यक्ति के वारिसाना हकों का अंतरण उसी विधि से होगा, जिसके कि वह मृत्यु के समय अध्यधीन था। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के समस्त वारिस– पुत्र, पुत्रियां व पत्नी– दलाराम की सम्पत्ति के बहिस्सा बराबर हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested

दलाराम के फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा बहैसियत वारिस उसके समस्त पुत्र, पुत्रियों व पत्नि के नाम नामांतरकरण दायर करने की बजाए केवल पुत्रों व पत्नि के नाम दायर करने के कारण वादिनीगण अपने जायज हकों से महरूम रह गई। अतः वादीनीगण ने वादग्रस्त भूमि में स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने एवं अपने हिस्से कि भूमि माफिक कब्जाकारत पृथक करवाने तथा अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 7 को छोड़कर शेष प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर पक्षकारान के वास्तविक हिस्सानुसार खातेदारी घोषित किए जाने एवं हिस्से दर्ज किए जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

वकील वादीनीगण की ओर से वाद कथन के समर्थन में श्रीमती पेंपादेवी पीडब्लू–1, झीमोंदेवी पीडब्लू–2, नेनूदेवी पीडब्लू–3, रूगाराम पीडब्लू–4 एवं अमराराम पीडब्लू–5 को परीक्षित किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम जेरूपाणियों का तला के खसरा नं. 638, 772 व 773 की जमाबंदी संवत् 2076–79 प्रदर्श–1, इसी ग्राम की खसरा संख्या 723 की जमाबंदी संवत् 2076–79 प्रदर्श–2, ग्राम जसनाथ नगर की खसरा संख्या 334/17, 336/19 की जमाबंदी संवत् 2076–79 प्रदर्श–3, इसी ग्राम की खसरा संख्या 335/18 की जमाबंदी संवत् 2076–79 प्रदर्श–4, उक्त भूमि के जारी नक्शे दिनांक 03.09.2021 प्रदर्श–5 से प्रदर्श–11, झीमोंदेवी का आधार कार्ड प्रदर्श–12 व भामाशाह कार्ड प्रदर्श–13 व 14, नोजीदेवी का आधार कार्ड प्रदर्श–15 व भामाशाह कार्ड प्रदर्श–16, नेनूदेवी का भामाशाह कार्ड प्रदर्श–17 व आधार कार्ड प्रदर्श–18, पेंपोदेवी का भामाशाह कार्ड प्रदर्श–19 व आधार कार्ड–20, जमाबंदी धन्ने की ढाणी खसरा संख्या 17 व 19 संवत् 2013–2016 प्रदर्श–21, खसरा संख्या 33, 119, 121 प्रदर्श–22, मौजा होडू की जमाबंदी खसरा संख्या 638, 772, 773 संवत् 2013–2016 प्रदर्श–23 एवं सुखी देवी द्वारा [illegible] के हक में निष्पादित बैचान पत्र खसरा संख्या 723 मौजा जेरूपाणियों का तला प्रस्तुत [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील वादीनीगण ने निवेदन किया कि वादीनीगण, प्रतिवादी संख्या1 से 4 के पिता–पति वेहना, प्रतिवादी संख्या 5 वना, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता–पति चेना, मुतवफि दला के वारिस है, जिनमें से प्रतिवादीनी संख्या 6 के फौत होने पर उसका हिस्सा उसकी इकलौती औलाद पुत्री प्रतिवादीनी संख्या 7 रामुदेवी में निहित हो गया। ग्राम

जसनाथ नगर की खसरा संख्या 334/17 व 336/19 दलाराम की आवगी थी। जैरूपाणियों का तला के खसरा संख्या 638, 772, 773 व 723 में दला का 1/2 हिस्सा था तथा ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 335/18 में दला का 3/8 हिस्सा था, दलाराम के वारिसान ने पत्नी नौजी, जो फौत हो चुकी है और जिसका हिस्सा उसके पुत्र–पुत्रियों में निहित हो चुका है, तीन पुत्रियां वादीनीगण एवं तीन पुत्र– प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता–पति वेहना, प्रतिवादी संख्या 5 वना एवं प्रतिवादीनी संख्या 7 रामू के पिता–वेना थे। इस प्रकार दलाराम के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 335/18 में निहित हिस्से में 1/16–1/16 हिस्सा प्रत्येक वादीनी का, 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 वना का, 1/16 हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या 7 रामू का तथा 1/16 हिस्सा संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का तथा पृथक–पृथक 1/64–1/64 हिस्सा प्रत्येक का है। प्रतिवादी संख्या 6 सुखीदेवी ने खसरा संख्या 723 में अपना 1/24 हिस्सा होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता–पति वेहनाराम को 1/6 हिस्से का बैचान कर दिया। इस प्रकार उनके द्वारा अपने वास्तविक हिस्से से 1/24 हिस्से का अधिक किया गया बैचान शुन्य एवं निष्प्रभावी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीनी संख्या 3 देवी, जो वेहनाराम की पुत्री है, की प्रविष्टी खसरा संख्या 335/18 की भूमि में दर्ज हुई, किन्तु शेष वादग्रस्त भूमि में वेहनाराम की फौतेदगी पर देवी का नाम दर्ज नहीं हुआ। इस प्रकार खसरा संख्या 638, 772 व 773 में प्रत्येक वादीनी का 1/12–1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा है। खसरा संख्या 334/17 व 336/19 की भूमि में प्रत्येक वादीनीगण, प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादीनी संख्या 7 का 1/6–1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा है। खसरा संख्या 723 की भूमि में प्रत्येक वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा है। इसी प्रकार खसरा संख्या 335/18 की भूमि में प्रतिवादी सं. 13 से 17 का 1/2 हिस्सा [illegible] का 1/8 हिस्सा यथावत रखते हुए प्रत्येक वादीनीगण, प्रतिवादी [illegible] संख्या 7 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या [illegible] 1/64 हिस्सा है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कास्त करते आ रहे है। दलाराम के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में उनके पुत्रों व पत्नि का नाम दर्ज कर दिया, किन्तु उनकी जाईदा पुत्रियों–वादीनीगण–का नाम छोड़ दिया गया। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीनीगण प्रथम श्रेणी की वारिसान की हैसियत से अपनी प्रविष्टि दर्ज करवाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारिणी है। अतः वादीनीगण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दलाराम की वारिस भूमि में वारिसाना हकानुसार खातेदारी घोषित करवाने, प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के साथ प्रतिवादी संख्या 4 की प्रविष्टि दर्ज करवाने तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। साथ ही वादीनीगण ने अपनी निषेधाज्ञा की इस्तदुआ को निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादी संख्या 7 ने वाद के तथ्यों की ताईद करते हुए माफिक हक वादीनीगण को वादग्रस्त भूमि में प्रविष्टि दर्ज किए जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीनीगण मुतवफी दलाराम की जाईदा पुत्रियां एवं प्रतिवादी संख्या 3 मुतवफी वेहना की पुत्री होने से अपने–अपने पिता की संपत्ति में जन्मतः हक रखती है। हम वकील वादीनीगण की इस दलील से सहमत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम सूची की वारिस की हैसियत से पुत्रियां अपनी माता व भाईयों के साथ अपने पिता की संपत्ति में बहिस्सा बराबर जन्मतः अधिकारीणी है राजस्व रेकर्ड की त्रुटि के आधार पर उन्हें उनके हकों से महरूम नहीं किया जा सकता। मुतवफी दलाराम की मृत्यु के समय पत्नी श्रीमती नोजी, पुत्रियां वादीनीगण, पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता–पति वेहनाराम, प्रतिवादी संख्या 5 वना, प्रतिवादी संख्या 7 के पिता चैना उसके वारिस थे तथा वेहनाराम के फौत होने पर पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 2–पत्नि पारू एवं पुत्री प्रतिवादीनी संख्या 3 देवी वारिस थे। ऐसी सूरत में वादीनीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 3 वादग्रस्त भूमि में वारीसाना हकानुसार खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारीणी है।

लिहाजा वादीनीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जैरूपाणियों का तला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 638, 772 व 773 कुल रकबा 29.9330 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का 1/2 हिस्सा यथावत रखते हुए 1/12–1/12 हिस्सा वादीनीगण, प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादीनी संख्या 7 की एवं 1/48–1/48 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। इसी ग्राम की खसरा संख्या 723 रकबा 12.9764 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का 1/2 हिस्सा यथावत रखते हुए 1/12–1/12 हिस्सा वादीनीगण, प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक की एवं 1/24 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 की तथा 1/32–1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। इसी तरह ग्राम जसनाथ नगर, तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 334/17 व 336/19 कुल रकबा 9.8860 हैक्टेयर भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested

1/6–1/6 हिस्सा वादीनीगण, प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 7 प्रत्येक की तथा 1/24–1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। इसी ग्राम की खसरा संख्या 335/18 रकबा 9.3197 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं 13 से 17 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं 8 से 12 का 1/8 हिस्सा यथावत रखते हुए 1/16–1/16 हिस्सा वादीनीगण, प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 7 प्रत्येक की तथा 1/64–1/64 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादीनी संख्या 6 द्वारा खसरा संख्या 723 में उसके वास्तविक 1/24 हिस्से से अधिक का वेहनाराम को किया गया बेचान शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि में बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested